जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
168/2016
A3
1

अपील सूचना अधिकार संख्या 168/2016 अनजानी श्री विवेक जग्गा मार्फत इन्द्रमोहन मिढ़ा, 10 तेली मोहल्लां, ओपोजिट के–ब्लाक, श्रीगंगानगर बनाम जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29–11–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विवेक जग्गा उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित है। जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर पत्र सं0 1120 दिनांक 24.11.2016 शामिल किया गया। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चार बिन्दुओ पर सूचना चाही गई थी जो सूचना अधिकारी द्वारा उसे पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। बिन्दु सं0 2 व 4 से संबंधित सूचनांए संबंधित बैंक एसबीबीजे से प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया जो सही नही है। इसलिए जिला कोषाधिकारी को बैंक से सूचना मंगवाकर देनी चाहिए।

इसके विपरीत लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन था कि जिला कोषाधिकारी कार्यालय में पेन्शनर ताराचन्द जग्गा की पेन्शन के संबंध में जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध थी वो प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी है और शेष सूचनांए एसबीबीजे बैक पी ब्लाक शाखा, श्रीगंगानगर से संबंधित है जिसके लिए प्रार्थी को उक्त बैंक से सूचनांए प्राप्त करने के लिए सूचित कर दिया था। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार के प्रा0 पत्र में पेन्शनर ताराचंद जग्गा सेवानिवृत्ति 30.04.2007 के पीपीओ न0 639114 का हवाला देते हुए लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनांए चाही है:–

1. Date when the pension is started.
2. Pension detailed statement from its start date (Year 2007) to till date (Year 2016)
3. Account number with name of bank in which the pension is credited.
4. Any increment in pension by government shoud be highlighted.

उक्त सूचनांओ के संबंध में जिला कोषाधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दुवार पत्र सं0 1542 दिनांक 09.02.2016 द्वारा निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है:–

1. पेंशन 01.05.2007 से प्रारम्भ हुई हैं। माह 05/07 की पेंशन इस कार्यालय से निम्नानुसार भुगतान की गयी है:–

मू. पेंशन	+	म.राहत	(–)कम्यु.	=	शुद्ध देय राशि
6800	+	1972	(–)2266	=	6506

माह जून 2007 से पेन्शन का भुगतान एस.बी.बी.जे., पी ब्लाक शाखा, श्रीगंगानगर द्वारा किया जा रहा है।

2. माह जून 2007 से लगातार पेंशन का भुगतान एस.बी.बी.जे., पी ब्लाक शाखा, श्रीगंगानगर द्वारा खाता सं0 51023010593 से किया जा रहा है। अतः इस बिन्दु की सूचना बैंक से प्राप्त करें।
3. एस.बी.बी.जे. पी. ब्लाक शाखा, श्रीगंगानगर द्वारा खाता सं0 51023010593
4. पेंशन में समय–समय पर महंगाई राहत मे वृद्धि की जाती है जो पेंशन में जोड़ कर दी जाती है जिसका विवरण आपकी सूचना के बिन्दु सं0 2 में बैंक से प्राप्त सूचना में उपलब्ध हो जायेगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पीपीओ न0 639114 से संबंधित पेन्शनर श्री ताराचंद जग्गा के संबंध में जिला कोषाधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में उपलब्ध सूचनांए अपीलार्थी को बिन्दुवार उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बिन्दु सं0 2 में अपीलार्थी ने पेन्शन की प्रारम्भ वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक का पेन्शन विवरण चाहा है और बिन्दु सं0 4 में राज्य सरकार द्वारा उक्त पेन्शनर को कोई वेतन वृद्धि दी गई है उसका विवरण चाहा गया है। **चूंकि पेन्शनर को एसबीबीजे पी ब्लाक शाखा के द्वारा भुगतान किया जा रहा है न कि जिला कोषाधिकारी द्वारा किया जा रहा है पेन्शनर को किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नही दी जाती बल्कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत में वृद्धि की जाती है जिसकी जानकारी भी पेन्शनर के संबंधित बैंक के पास ही उपलब्ध होती है न कि जिला कोषाधिकारी के कार्यालय में। इसलिए जिला कोषाधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 2 व 4 की सूचना के संबंध में जो उत्तर दिया गया है उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलार्थी को इस संबंध में संबंधित बैंक से ही चाराजोही करनी चाहिए। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर